



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या - 307 राँची, सोमवार, 11 जुलाई, 2022 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)

अधिसूचना

8 जुलाई, 2022

संख्या-02/राज०स्था० नियुक्ति (अवर निबंधक) -25/2022-2285--रा., संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2021 के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों को इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 (16 ऑफ 1908) की धारा-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड निबंधन सेवा में मूल कोटि (अवर निबंधक) के वेतनमान (अपुनरीक्षित) 9300-34800/- ग्रेड पे-5400/- (PB-II) में परीक्ष्यमान अवर निबंधक के रूप में पदग्रहण की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र०	अनुक्रमांक	नाम	पिता का नाम	गृह जिला
1	52157118	श्री बिकास कुमार	श्री पीताम्बर प्रसाद यादव	गिरिडीह
2	52087939	श्रीमती दीपिका कुमारी	श्री विजय कुमार साव	धनबाद
3	52200787	श्री सौरभ वर्मा	श्री सदानन्द प्रकाश	हजारीबाग
4	52265071	सुश्री तुलिका रानी	श्री शिवपूजन पटेल महतो	रामगढ़
5	52204917	श्री विवेक कुमार पांडेय	श्री गोपाल शरण पांडेय	हजारीबाग
6	52295486	श्री बिपिन साहु	श्री बलिराम साहु	गुमला
7	52196674	श्री रितु रंजन कुमार	श्री उमेन्द्र ठाकुर	हजारीबाग
8	52333669	श्री शंकर मुण्डा	श्री महादेव मुण्डा	राँची
9	52012596	श्री विकाश सोरेन	श्री बिगन मांझी	बोकारो
10	52245535	श्री दिलीप कुमार सिंह	श्री राजकुमार सिंह	पलामू

2. सभी अभ्यर्थी राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची में योगदान समर्पित कर दिनांक-18.07.2022 को पूर्वाह्न 10:00 बजे अनिवार्य रूप से श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, मेयर्स रोड, राँची में आधारभूत/Theoretical प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योगदान करेंगे।
3. अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। संतोषप्रद सेवा नहीं होने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
4. अभ्यर्थी की वरीयता झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
5. योगदान देते समय दहेज न लेने से संबंधित घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
6. योगदान के पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Releaving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा।
7. अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त प्रतिकूल प्रतिवेदित होने पर एक माह की सूचना पर सेवा समाप्त की जा सकती है।
8. अगर कोई अभ्यर्थी बिना किसी सूचना के एक माह के अन्दर योगदान नहीं करते हैं तो उनकी नियुक्ति रद्द करने की कार्यवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कैथरीन किस्पोट्टा,
सरकार के अपर सचिव।
